

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-2
संख्या- 347 / IV(2)-श0वि0-2020-01(ADB)/18टी0सी0
देहरादून: दिनांक: 28 मार्च, 2020
कार्यालय ज्ञाप

शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत ए0डी0बी0 के क्रियान्वयन हेतु गठित आई0पी0एम0यू0 (IPMU) एवं पी0आई0यू0 (PIU) में पूर्व कार्यालय ज्ञाप संख्या 1297 / IV(2)-श0वि0-12-06 (ADB)/08, दिनांक 03.09.2012 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 529 / IV(2)-श0वि0-15-06(ADB)/08, दिनांक 15.05.2015 के माध्यम से संविदा एवं आउटसोर्स के आधार पर अस्थायी निःसंवर्गीय पदों को सृजित किये एवं वेतनमान/मानदेय निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में शासन को प्रेषित किये गये प्रस्ताव/पत्र संख्या यू0यू0एस0डी0आई0पी0/A-245/308 दिनांक 18.07.2019 के क्रम में "मानदेय वृद्धि कॉलम संख्या-05" के अनुसार निम्नवत् किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्तमान में अनुमन्य मानदेय (रू0 प्रतिमाह)	प्रस्तावित मानदेय (रू0 प्रतिमाह)
1	2	3	4	5
IPMU में सृजित पद/मानदेय				
1	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एक्सपर्ट	01	50,000 / -	60,000 / -
2	इन्वायरमेंट इंजीनियर	01	50,000 / -	60,000 / -
3	आई0ई0सी0 ऑफिसर	01	35,000 / -	50,000 / -
4	सोशल एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर / जेन्डर स्पेशलिस्ट	01	35,000 / -	55,000 / -
5	एम0आई0एस0 ऑफिसर	01	40,000 / -	60,000 / -
6	ऑफिसर मैनेजर	01	28,000 / -	45,000 / -
7	एकाउन्ट्स मैनेजर	01	30,000 / -	40,000 / -
8	एकाउन्ट्स असिस्टेंट	04	25,000 / -	35,000 / -
9	ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	04	उपनल द्वारा अनुमन्य मानदेय	20,000 / -
10	ऑफिस अटेन्डेंट	05	उपनल/पी0आर0डी0 द्वारा अनुमन्य मानदेय	15,000 / -
	योग	20		
PIU में सृजित पद/मानदेय				
1	जूनियर इंजीनियर (सि0)	29	30,000 / -	40,000 / -
2	जूनियर इंजीनियर (विद्युत/ यान्त्रिक)	05	30,000 / -	40,000 / -
3	पी0पी0एम0ओ0	02	30,000 / -	50,000 / -
4	यूनिट लेखाकार	05	28,000 / -	40,000 / -
5	लेखा सहायक	05	25,000 / -	30,000 / -
6	ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	10	उपनल द्वारा अनुमन्य मानदेय	20,000 / -
7	ऑफिस अटेन्डेंट	15	उपनल/पी0आर0डी0 द्वारा अनुमन्य मानदेय	15,000 / -
	योग	71		


13.03.2020


- 4- उक्त कार्मिकों को इस हेतु वर्तमान में वार्षिक वेतन वृद्धि, कर्मचारी को परफोरमेंस अप्रैजल रिपोर्ट प्रेषित करने के पश्चात ग्रेडिंग A, B, C, D, E व F जो कि 10 % (Maximum limit Rs. 3500/-) 7.5 % (Maximum limit Rs. 3500/-), 5% (Maximum limit Rs. 3500/-), 2.5% (Maximum limit Rs. 3500/-) 0% व No Ezentention of Contrat उनके अन्तिम प्राप्त हो रहे वेतन पर दिया जाय।
- 5- परियोजना अवधि के उपरान्त उपरोक्त सभी पद स्वतः समाप्त माने जायेंगे। इन पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी अपने स्थायीकरण/समायोजन के सम्बन्ध में कोई दावा न करने के लिए ऐसा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेंगे।
- 6- परियोजना अवधि में इन पदों की निरन्तरता प्रत्येक वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासन से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 7- अस्थायी रूप से स्वीकृत उक्त पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
- 8- उपरोक्त स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय ए0डी0बी0 परियोजना के ऋण अनुबन्ध के अनुसार आई0पी0एम0यू0 तथा पी0आई0यू0 द्वारा वहन किया जायेगा। शासन द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहे हैं।


(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या- 347 /IV(2)-श0वि0-2020-01(ADB)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0आई0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे शहरी विकास विभाग की वेबसाईट पर सम्मिलित करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रेश कुमार)
अपर सचिव।